कलेक्टर ने बाइक से किया मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा

लोगों को समझाने चौक में लगाई मलेरिया चौपाल, मितानिनों के काम का परीक्षण करने कराई मलेरिया जांच

डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

स्कूलों में प्रार्थना के बाद बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया के बारे में जागरूक किया जायेगा

बिलासपुर, 18 जुलाई (देशबन्धु)। कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा विकासखण्ड के मलेरिया प्रभावित कुरदर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। बारिश के कारण भारी कीचड़ एवं दलदल से सने छुईहा एवं चिखलाडबरी सड़क मार्ग का बाईक में सवार होकर निरीक्षण किया। चार पहिया वाहन आ-जा नहीं पाने के कारण मरीजों सहित आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सड़क को दो दिनों में सुधार कर आने-जाने योग्य बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कुरदर में मलेरिया चौपाल लगाकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्वयं मितानिन से मलेरिया जांच कराकर उनके द्वारा आम नागरिकों का किये जा रहे जांच का परीक्षण किया। एसडीएम युगल किशोर उर्वशा सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद थी।

कलेक्टर अवनीश शरण ने आज लगभग तीन चार घण्टे तक कोटा ब्लॉक के दूरस्थ मलेरिया पीड़ित इलाके का सघन दौरा किया। ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। कुरदर के सरपंच श्री राजकुमार पैंकरा से भी चर्चा की। उन्होंने रोज शाम को जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाईक एम्बुलैंस को कुरदर में चौबीसों घण्टे रखने के निर्देश दिए। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा है। कैंदा अस्पताल को एक 108 वाहन उपलब्ध कराने को कहा है।

कुरदर में पानी एवं बिजली की समस्या के निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया। गत दिवस करवा ग्राम के एक ही परिवार के दो बच्चों की मलेरिया से मौत की पुष्टि हुई है। कलेक्टर ने कहा कि डायरिया और मलेरिया को हल्के में ना ले। प्रभावित ग्रामों का पूरा सर्वेक्षण करें। आरडी कीट से मलेरिया की जांच करें। यदि फेल्सिफेरम मलेरिया कन्फर्म होती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज न करके सीधे जिला अस्पताल अथवा सिम्स में भर्ती के लिए रिफर किया जाये। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया से बचने के उपाय बताएं।

रोज-रोज उन्हें बताए। दवा लेने के बाद इसका सेवन नहीं किये जाने की सूचना भी कई जगहों से मिली। कलेक्टर ने कहा कि मरीजों के घर का फोन नम्बर लेकर लगातार इसकी मॉनीटरिंग किया जाये। इसके लिए एक अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगाया जाये।

अरपा भैंसाझार परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है- केदार

बिलासपुर, 18 जुलाई (देशबन्धु)। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज अरपा भैंसाझार बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने 4 करोड़ 15 लाख की लागत से निर्मित निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण भी किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत परिसर में पीपल पौधा भी लगाया। अधिकारियों की बैठक लेकर अरपा भैंसाझार परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना में आयी गतिरोध को दूर कर हर हाल में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए इसे पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। इसलिए राजधानी से यहां आकर मौके पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने मुआवजा प्रकरण के समाधान में आ रही दिक्कतों के निदान के लिए विधायक धरमलाल कौशिक एवं धरमजीत सिंह को अधिकृत किया। वे संबंधित किसानों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर और इसकी महत्ता के संबंध में समझाइश देकर उन्हें मनाएंगे। नियमानुसार उन्हें मुआवजा तत्काल दिया जायेगा। बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह एवं स्थानीय विधायक अटल श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि अरपा भैंसाझार परियोजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। राज्य सरकार इसे किसानों के हित में जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहती है। इसमें आने वाली गतिरोध को दूर करना अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की संयुक्त जवाबदारी है। उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर को इसका बेहतर समन्वय करने के निर्देश दिए। उपस्थित सभी विधायकों ने इस विषय में अपने विचार रखे और इसे पूर्ण करने पर जोर दिया। जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश टोप्पो ने कहा कि शेष काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी वर्तमान ठेकेदार की है। उन्होंने ठेकेदार सुनील अग्रवाल को समयसीमा बढ़ाने के लिए आवेदन करने के सख्त निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि परियोजना को शुरू हुए लगभग 12 साल हो गए। विभिन्न कारणों से यह परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी है। मूल रूप से वर्ष 2012 में परियोजना 606.43 करोड़ रूपये की थी। वर्ष 2016 में पुनरीक्षिप प्रशासकीय स्वीकृति के बाद इसकी लागत 1141.90 करोड़ की हो चुकी है। इसके पूर्ण रूप से बन जाने पर कोटा, तखतपुर एवं बिल्हा ब्लॉक के 102 गांव के किसान लाभान्वित होंगे। खरीफ के मौसम में उनका 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। फिलहाल अधूरी परियोजना से लगभग 13 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही है। विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक धरमजीत सिंह एवं अटल श्रीवास्तव ने भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता इन्द्रजीत सिंह उईके सहित बिल्हा, कोटा एवं तखतपुर के एसडीएम भी उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष

शहरी आजीविका मिशनः छत्तीसगढ़ को मिले ...

के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम के साथ ही प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार और कौशल विकास के साथ ही शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी सूडा और पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महिलाओं एवं युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मिशन है। छत्तीसगढ़ इस मिशन में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में अच्छे कार्यों को रेखांकित करने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के नामांकित लाभार्थी जशपुर नगर पालिका के सुमित किस्कु और लोरमी नगर पंचायत के कुशाल राम साहू भी शामिल हुए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थी के रूप में नामांकित जगदलपुर नगर निगम की हैप्पी महिला स्वसहायता समूह की श्रीमती मृदुला जैन, भिलाई नगर निगम की राधा रानी स्वसहायता समूह की श्रीमती चित्ररेखा साहू, सिटी मिशन प्रबंधक सुश्री एकता शर्मा और संत कुमार महतो ने भी छत्तीसगढ़ की ओर से समारोह में सहभागिता दी।

राज्य की ओर से इन्होंने ग्रहण किए पुरस्कार

नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को मिला तृतीय पुरस्कार सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि, राज्य मिशन प्रबंधक विवेक शुक्ला और प्रशांत अमोली ने ग्रहण किया। बिलासपुर नगम निगम के आयुक्त अमित कुमार, रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त सुनील चंद्रवशी, सिटी मिशन प्रबंधक केदार पटेल और शुभम शर्मा, भाटापारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी लाल अजय बहादुर सिंह और सिटी मिशन प्रबंधक नीरज साहू तथा चांपा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी और भोला सिंह ठाकुर ने अपने-अपने निकायों की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन, संयुक्त सचिव तथा एनयूएलएम एवं पीएम स्वनिधि के प्रबंध निदेशक राहुल कपूर, पीएम स्वनिधि की संचालक श्रीमती शालिनी पाण्डेय और एनयूएलएम के संचालक सुनील कुमार यादव भी पुरस्कार समारोह में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी ...

डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन, और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है।

इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, रायपुर-दुर्ग एनएच 53 के दो जंक्शन सिरसा गेट व खुर्सीपार जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के स्वीकृति का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कॉंग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।

सभी परीक्षा केंद्रों के ...

खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दर्ज मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की थी। पांच मई, 2024 को आयोजित हुए नीट एग्जाम में 67 टॉपर सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। परीक्षा को रद्द करने की है मांग-सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई गई याचिकाओं में मांग की गई है कि नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और इसे नए सिरे से आयोजित कराया जाए। परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कराए जाने की भी बात कही गई है।

डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से

किया गया है। रेलवे ने इस सिलसिले में गोरखपुर, लखनऊ और गोंडा में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यात्रियों के परिजन 0551-2208169, 8957409292, 8957400965 और 8957407596 पर संपर्क कर सकते हैं। हादसे के कारण दस ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने गोंडा रेल हादसे की जांच का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, सीआरएस जांच का आदेश दिया गया है। सीआरएस जांच रेलवे की सबसे ऊंच्च स्तरीय जांच होती है। क्योंकि गोंडा में हुए रेल हादसे में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। इसलिए रेलवे ने इस हादसे की जांच में सीआरएस जांच का आदेश दिया है।

कलेक्टर और पीडी ने टीबी मरीजों को गोद लेते हुए अतिरिक्त पोषण आहार पैकेट प्रदान किया

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 18 जुलाई (देशबन्धु)। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बनकर कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) कौशल प्रसाद तेंदुलकर ने आज कलेक्ट्रेट में पेंड्रा विकासखंड के ग्राम गिरारी निवासी टीबी मरीज तिलक राम एवं ग्राम बंधी निवासी रेकलाल केवट को गोद लेते हुए अतरिक्त पोषण आहार पैकेट प्रदान किया। इसी तरह जिले के 80 अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों को अतरिक्त पोषण आहार प्रदान कर रहे है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई नागेश्वर राव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो, टीबी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ जोहन सिंह, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिमन्यु सिंह, जोगेंद्र सिंह, आशुतोष पांडेय उपस्थित थे।

निधन

अमीना बानो

तखतपुर। बजरंग नगर निवासी अमीना बानो 90 वर्ष का बुधवार को निधन हो गया। वे निज़ाम जिंदरान, नजरू जिंदरान, रियाजिद्दीन जिंदरान, नशरुद्दीन जिंदरान, सिराज जिंदरान की मां वा जुनैद जिंदरान अजहर जिंदरान फिरोज जिंदरान आशिफ जिंदारान की दादी थी। इनका बरेला कब्रिस्तान में सुपुर्देखाक किया जाएगा।

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार मालखरौदा जिला-सक्ती (छ.ग.)
दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन हेतु

// सूचना //

प्रति,

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय कुमार पिता रामकिशन जाति सतनामी ग्राम छोटे सीपत तह. मालखरौदा जिला-सक्ती (छ.ग.) द्वारा ग्राम छोटे सीपत तह. मालखरौदा में हमारे अन्य भूमि के अलावा पैतृक भूमि खसरा नं. 239, 323, 838/2, रकबा क्रमशः 0.0240, 0.1210, 0.0650 हे. भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि का नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया है।

अतः इस संबंध में इस न्यायालय में दिनांक 23/07/2024 को किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालीन समय में जवाब पेश करें। अन्यथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

जारी दिनांक 18/07/2024

सील

तहसीलदार मालखरौदा

न्यायालय तहसीलदार (परि.भूमि) सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.)

// ईश्तहार //

क्रमांक / 881/ तह./ वाचक/ 2024
सक्ती, दिनांक 28.02.2024
रा.प्र.क्र. अ-2/ 2023-2024
ग्राम पोरथा तहसील - सक्ती

एतद् द्वारा आम जनता साकिन पोरथा तहसील सक्ती, जिला-सक्ती (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि श्री मनीराम साहू पिता सखाराम निवासी पोरथा तहसील सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) के द्वारा ग्राम पोरथा तहसील सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा नंबर 380/11 रकबा 0.10 एकड़ भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के न्यायालय से इस न्यायालय को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है।

अतः आवेदक के उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन व्यपवर्तन किये जाने पर जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो वे अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 24/07/2024 को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से लिखित रूप में पेश कर सकते हैं पेशी तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला कोरिया (छ.ग.)

खाली कार्टन एवं शीशी विक्रय हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना

कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कोरिया जिले से नियंत्रित 1 देशी कम्पोजिट एवं 4 विदेशी मदिरा दुकानों में वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए अर्थात कार्यादेश जारी होने के दिनांक से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि में संग्रहित होने वाले खाली कार्टन (पुठ्ठा) एवं खाली शीशियों का विक्रय किया जाना है। खाली कार्टन का प्रति किलोग्राम की दर से एवं खाली शीशियों का प्रति नग की दर से इच्छुक निविदाकारों से बंद लिफाफा में निविदाएं (तकनीकी बिड/ प्राइज बिड पृथक-पृथक) दिनांक 02.08.2024 को दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला कोरिया में आमंत्रित की जाती है। बंद लिफाफा में प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 02.08.2024 को सायं 04:00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी।

खाली कार्टन एवं शीशी विक्रय हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के पश्चात् निविदा की शर्तों/ नियम, निविदा प्रपत्र तथा मदिरा दुकानों की अवस्थिति आदि की विस्तृत जानकारी अवकाश के दिवसों को छोड़कर निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन समय पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट, मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड जिला कोरिया से 500/- के बैंक ड्राफ्ट (जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला कोरिया के नाम से) जमा कर प्राप्त की जा सकेगी।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. सह जिला आबकारी अधिकारी जिला कोरिया (छ.ग.)

जी- 242501153/3

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ)
शाखा-संपदा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष:07759-221288, फैक्स: 07759-221929, पो.बाक्स नं.12पिन कोड-495677
Website:www.korbamunicipal.in,
Email: corporationkorba@gmail.com
फा.क्र./15/संपदा/कोरबा/भूखण्ड/2024/4678
कोरबा, दिनांक ....

आम सूचना

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पति श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल एवं श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल को पश्चिमी कोरबा में भूखण्ड क्रमांक 95 साईज 40'×60'=2400 वर्गफुट को पंजीयन आबंटन शर्तों के तहत 30 वर्षीय लीज (31.07.2004 से 30.07.2034 तक) पर आबंटित किया गया है। उक्त भूखण्ड के लीज डीड का निष्पादन दिनांक 21.01.2022 को उप पंजीयक कार्यालय कोरबा में किया गया है। आबंटिती श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पति श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल एवं श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल में से श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पति श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 02.03.2024 को हो जाने के उपरांत उनके नाम पर आबंटित उक्त भूखण्ड क्रमांक- 95 साईज 40'×60'=2400 वर्गफुट, पश्चिमी कोरबा को शेष आबंटिती- श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल (पति) के एकल नाम पर उक्त भूखण्ड का नामांतरण फौती दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिचय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पश्चिमी कोरबा में स्थित भूखण्ड क्र.-95 साईज 40'×60'=2400 वर्गफुट के आबंटिती श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पति श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल एवं श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल में से श्रीमती सरिता देवी अग्रवाल पति श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 02.03.2024 को हो जाने के फलस्वरूप उक्त भूखण्ड शेष आबंटिती के साथ एवं उनके विधिक वारिस- श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल (पति) के एकल नाम पर नामांतरण (फौतीदर्ज) कराये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था/ निकाय को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय प्रमाण सहित इस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दे सकते हैं। अवधि समाप्त होने के पश्चात् होने वाली आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त भूखण्ड को शेष आबंटिती - श्री चतुर्भुज प्रसाद अग्रवाल आ. श्री गिरधारी लाल अग्रवाल (पति) के एकल नाम पर नामांतरण (फौतीदर्ज) करने की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ)

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I CHANDRAKLA JINDAL W/O BAJRANG LAL JINDAL resident of 10/167 DABHRA ROAD WARD NO .16 KHARSIA DIST. - RAIGARH, 496661 (C.G.) I have changed my old name CHANDRAKLA JINDAL W/O BAJRANG LAL JINDAL so in future I should be recognized by my new name that is CHANDRAKALA JINDAL W/O BAJRANG LAL JINDAL in all government and other documents.

CHANDRAKALA JINDAL
10/167 DABHRA ROAD
WARD NO 16 POST -KHARSIA
DIST.- RAIGARH 496661
(C.G.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
विवाह प्र.क्र.135/ब-121/2023-2024
ग्राम - बनसुला तहसील- बम्हनीडीह

// ईश्तहार //

आवेदक अमर डहरिया उम्र 21 वर्ष पिता श्री कौशल प्रसाद जाति सतनामी निवासी पिहरीद तहसील व थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) एवं आवेदिका कु. किरन उम्र 19 वर्ष पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति चंद्रा निवासी बनसुला तहसील बम्हनीडीह थाना बिर्रा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन

आम जनता ग्राम बनसुला तहसील बम्हनीडीह जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक अमर डहरिया उम्र 21 वर्ष पिता श्री कौशल प्रसाद जाति सतनामी निवासी पिहरीद तहसील व थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) एवं आवेदिका कु. किरन उम्र 19 वर्ष पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति चंद्रा निवासी बनसुला तहसील बम्हनीडीह थाना बिर्रा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह की सूचना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः इस संबंध में किसी को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वह अपनी दावा/ आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2024 की 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04.07.2024 को न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

विवाह अधिकारी जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला-सक्ती (छ.ग.)
विवाह प्रकरण क्रमांक 178/2023-24
ग्राम- खुरघटी, तहसील-डभरा

// ईश्तहार //

आवेदक लोचन प्रसाद माली, उम्र 21 वर्ष 05 माह पिता श्री धनेश्वर माली जाति मरार निवासी ग्राम सकराली, थाना व तहसील डभरा सक्ती जिला-सक्ती (छ.ग.) एवं आवेदिका मंजू अजय, उम्र 21 वर्ष, पिता श्री जीवन लाल जाति सतनामी, निवासी ग्राम खुरघटी, थाना व तहसील डभरा, जिला- सक्ती (छ.ग.)

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

आम जनता खुरघटी तहसील डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक लोचन प्रसाद माली, उम्र 21 वर्ष 05 माह पिता श्री धनेश्वर माली जाति मरार निवासी ग्राम सकराली, थाना व तहसील डभरा सक्ती जिला-सक्ती (छ.ग.) एवं आवेदिका मंजू अजय, उम्र 21 वर्ष, पिता श्री जीवन लाल जाति सतनामी, निवासी ग्राम खुरघटी, थाना व तहसील डभरा, जिला- सक्ती (छ.ग.) द्वारा संयुक्त रूप से विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह की सूचना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः इस संबंध में किसी को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वह अपनी दावा/ आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 16.08.2024 को 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 11.07.2024 को न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

विवाह अधिकारी जिला-सक्ती (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय जे.योगानन्दम छत्तीसगढ महाविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)
Email:- gjycg.college@gmail.com Website: www.cgcollege.org Tele.No.0771-2427126

क्रमांक/616/1105/2024
रायपुर, दिनांक ..15/07/2024

अतिथि व्याख्याता एंव अतिथि ग्रंथपाल हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर के प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक एवं ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, हिन्दी (01), वाणिज्य (02), भौतिकशास्त्र (01), वनस्पतिशास्त्र (01), भूगोल (01) एवं अतिथि ग्रंथपाल (01) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 25 जुलाई 2024 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

टीप :-1. विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड तथा महाविद्यालय के वेबसाईट www.cgcollege.org में अपलोड किया गया है, जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

2. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वत: समाप्त हो जावेगी ।

(डॉ.अमिताभ बैनजी)
प्राचार्य

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, कबीरधाम (छ.ग.)
डीपीएस स्कूल के पीछे महाराजपुर, E-Mail: dplckawardha@gmail.com

संक्षिप्त प्रारूप

कार्यालय, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी कबीरधाम (छ.ग.)
क्रमांक/ 149/ DPLC/ निविदा / 2024
कबीरधाम, दिनांक 18/07/2024

// निविदा आमंत्रण सूचना //

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कबीरधाम (महाराजपुर) में आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था करने हेतु इच्छुक पंजीकृत स्व-सहायता समूहों से मोहर बंद निविदा दिनांक 20/08/2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, सोसायटी, कबीरधाम से 500/- का डी.डी. नोडल अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज कबीरधाम के नाम देय हो जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा के प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.Kawardha.gov.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं. सह निदेशक, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, सोसायटी कबीरधाम (छ.ग.)

संवाद- 40864/2

ICICI Home Finance
आईसीआईसीआई होम फाइनैंस
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, इंदिरा टावर, ए-26, जोन-।।, मेन रोड, व्यापार विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001

खनियम 8 (6) का परंतुक देखें,

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहां है", जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह-कर्जदारों/गारंटरों/कानूनी वारिसों का नाम ऋण खाता संख्या	प्रत्यामूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	दिलीप हरजानी (कर्जदार), विनीता हरजानी (सह-कर्जदार), लाल चंद हरजानी (सह-कर्जदार 2) ऋण खाता संख्या एलएचआरपीआर00001291436	सर्वे नंबर 654/3, 653/5, 655/7, जो मौजा जूना बिलासपुर, पटवारी सर्किल नंबर 22, एमपीएल कॉर्प. बिलासपुर की सीमा के भीतर, ब्लॉक बिल्हा, आर आई सर्किल, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित है।	रू. 1,03,64,613/- 02-07-2024	रू. 33,21,000/- / रू. 3,32,100/-	12-08-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	22-08-2024 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक की वेबसाइट (यूआरएल लिंक -https://BestAuctionDeal.com½ पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचनाप्रेषिती को 21-08-2024 को अप. 5.00 बजे से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कालम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, प्रथम तल, इंदिरा टावर, ए-26, जोन-।।, मेन रोड, व्यापार विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001 में 21-08-2024 को अथवा पूर्व अप. 04.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड, प्रथम तल, इंदिरा टावर, ए-26, जोन-।।, मेन रोड, व्यापार विहार, बिलासपुर (सी.जी.) 495001 में 21-08-2024 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे से पहले जमा करनी होगी। धरोहर राशि जमा हेतु डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में बिलासपुर में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड से 9920807300 पर अथवा हमारे सेल्स एवं मार्केटिंग पार्टनर नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://www.icicihfc.com/

तिथि : 19-07-2024
स्थान : बिलासपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन नंबर - U65922MH1999PLC120106